रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 1983/आश्विन 20, 1905
No. 457] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 1983/ASVINA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 12 अक्टूबर 1983

का. आ. 732(अ).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1961, की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई और सरकार की अधिसूचना के साथ जो कि पिछले वाणिज्य मंत्रालय के (विदेश व्यापार विभाग) संख्या का.आ. 517 (ई) दिनांक 25 सितम्बर, 1973 को पढ़ी गई थी कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त कलकत्ता एतद्द्वारा 648.32 रु. मी वर्ग अधिकतम बहिर्निर्माणी मूल्य निश्चित करता हूं । जैसा कि बी. टवीलस (यहू पटसन वस्त्र की एक

किस्म है) के $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$ साम्य वजन सिला किनारा $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ सिला के आकार का $2\frac{1}{4}$ पौण्ड प्रति थैला, 6×8, 3-नीले, सूखे सिले तथा अन्य मामलों में वर्तमान भारतीय मानक संस्थान विनिर्देशन [संख्या-आई.एस.: 2566-1965 अद्यतन संशोधित] के सदृश्य होना, जो कि अक्टूबर, 1983 में खरीदे और बेचे जा सकते हैं ।

2. इस अधिसूचना के अधीन निश्चित किया गया मूल्य उत्पादन शुल्क एवं बिक्री कर छोड़ कर होना । जो क्रेता द्वारा असल पर बहिर्निर्माणी मूल्य के अतिरिक्त अदा किया जाएगा ।

[फा. न. 8/2/83-जूट]

डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

Office of the Jute Commissioner

NOTIFICATION

Calcutta, the 12th October, 1983

S.O. 732(E).—In exercise of the powers conf Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1901, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517(E) dated the 25th September, 1973, I, D. R. Das, Deputy Jute Commissioner, Calcutta hereby fix Rs. 648.32 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 44-1|4" x 26"-1|2" HD. W.I.P. 44" x 26-1|2" Hd. 2-1|4 lbs. per bag, 6 x 8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of October, 1983.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and sales tax which shall be paid in addition to exfactory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|2|83-Jute]

D. R. DAS, Dy. Jute Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983